प्रपत्र आ.का.वि.- 6 को भरने के लिए अनुदेश

इस विवरणी प्रपत्र में ब्यौरों को भरने के लिए इन अनुदेशों को दिशा-निर्देश के रूप में लिया जा सकता है । कोई संदेह होने की स्थिति में, कृपया आयकर अधिनियम, 1961 के संगत उपबंधों तथा आयकर नियमावली, 1962 का अवलोकन करें ।

1. **कर निर्धारण वर्ष जिसके लिए यह फार्म लागू है**

यह फार्म कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए ही लागू है अर्थात यह वित्त वर्ष 2009-10 में अर्जित आय के संबंध में लागू है ।

2. **इस फार्म का उपयोग कौन कर सकता है**

इस फार्म का उपयोग धारा 11 के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली कंपनी से भिन्न कंपनी कर सकती है।

3. **अनुबंध रहित फार्म**

इस फार्म के साथ कोई दस्तावेज़ (जिसमें टी डी एस प्रमाण पत्र शामिल है) संलग्न नहीं करना चाहिए । इस फार्म के साथ संलग्न किए गए सभी दस्तावेज़ अलग कर दिए जाएं तथा कर निर्धारिती को वापस कर दिए जाएं

4. **इस फार्म को भरने का ढंग**

इस फार्म को निम्नलिखित में से किसी तरीके से आयकर विभाग को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है:

(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इनलेक्ट्रानिक तरीके से विवरणी प्रस्तुत करके

(ii) इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विवरणी में आंकड़े प्रेषित करके तथा उसके बाद फार्म आयकर-V में विवरणी के प्रस्तुतीकरण का सत्यापन करके जहाँ 5 (ii) में उल्लिखित तरीके से फार्म प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ आपको फार्म आयकर विवरणी- V की दो प्रतियाँ तैयार करनी होंगी । कर निर्धारिती द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आ.क.विभाग-V की एक प्रति साधारण डाक द्वारा पोस्ट बैग नं.1, इलैक्ट्रानिक सिटी कार्यालय बंगलुरू-560100(कर्नाटक) को भेजी जानी है । दूसरी प्रति कर निर्धारिती द्वारा अपने रिकार्ड के लिए रखी जा सकती है ।

5. **इस फार्म को भरने के लिए कोड**

विवरणी प्रपत्र में शीर्ष "दाखिल स्थित" के अंतर्गत उस धारा के संबंध में ब्यौरे भरे जाने हैं जिसके अंतर्गत संगत कोडों के आधार पर विवरणी दाखिल की जा रही है । धारा जिसके अंतर्गत विवरणी दाखिल की जा रही है, के तदनुरूपी कोड निम्नवत हैं :-

(क) आय की विवरणी-

क्रम सं.	विवरणी कैसे भरी गई है	कोड
i.	धारा 139 के अंतर्गत नियत तिथि से पूर्व स्वैच्छिक रूप से	11
ii.	धारा 139 के अंतर्गत नियत तिथि के बाद स्वैच्छिक रूप से	12

iii.	धारा 142 (1) के अंतर्गत नोटिस के प्रत्युत्तर में	13
iv	धारा 148 के अंतर्गत नोटिस के प्रत्युत्तर में	14
v.	धारा 153क/ 153ग के अंतर्गत नोटिस के प्रत्युत्तर में	15

6. इस प्रपत्र को भरने के लिए अनुदेश

(i) 'भाग-क-कारोबार स्वरूप' में भरे जाने वाले कारोबार के स्वरूप के कोड निम्नवत हैं :

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कोड
(1) विनिर्माण उद्योग	कृषि आधारित उद्योग	0101
	ऑटोमोबाइनल तथा ऑटोपार्ट्स	0102
	सीमेंट	0103
	डायमंड कटिंग	0104
	ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स	0105
	कंप्यूटर हार्डवेयर सहित इनलेक्ट्रॉनिक्स	0106
	इंजीनियरिंग सामान	0107
	उर्वरक, रसायन तथा पेंट्स	0108
	आटा तथा चावल मिलें	0109
	खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें	0110
	मार्बल तथा ग्रेनाइनट	0111
	कागज़	0112
	पेट्रोलियम तथा पेट्रो रसायन	0113
	बिजली तथा ऊर्जा	0114
	मुद्रण तथा प्रकाशन	0115
	रबड़	0116
	इस्पात	0117
	शर्करा	0118
	चाय तथा कॉफी	0119
	वस्त्र, हथकरघा तथा बिजलीकरघा	0120
	तंबाकू	0121
	टायर	0122
	वनस्पति तथा खाद्य तेल	0123
	अन्य	0124
(2) व्यापार	चेन स्टोर्स	0201
	खुदरा विक्रेता	0202
	थोक विक्रेता	0203
	अन्य	0204

(3) आढ़ती	सामान्य आढ़ती	0301
(4) भवन	भवन निर्माता	0401
	संपदा एजेंट	0402
	प्रापर्टी डेवलेपर	0403
	अन्य	0404
(5)संविदाकार	सिविल संविदाकार	0501
	उत्पाद शुल्क संविदाकार	0502
	वन संविदाकार	0503
	खनन संविदाकार	0504
	अन्य	0505
(6) प्रोफेशनल	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, लेखा परीक्षक आदि	0601
	फैशन डिज़ाइनर	0602
	विधि प्रोफेशनल	0603
	चिकित्सा प्रोफेशनल	0604
	नर्सिंग होम	0605
	विशिष्ट अस्पताल	0606
	अन्य	0607
(7) सेवा क्षेत्र	विज्ञापन एजेंसियाँ	0701
	ब्यूटी पार्लर	0702
	कंसल्टेंसी सेवाएं	0703
	कूरियर सेवाएं	0704
	कंप्यूटर प्रशिक्षण/शैक्षणिक तथा कोचिंग संस्थान	0705
	फौरैक्स डीलर्स	0706
	आतिथ्य सेवाएं	0707
	होटल	0708
	सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, बी पी ओ सेवा प्रदाता	0719
	सिक्योरिटि सेवाएं	0710
	साफ्टवेयर डेवेलपमेंट एजेंसियाँ	0711
	ट्रांसपोर्टर्स	0712
	ट्रेवेल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स	0713
	अन्य	0714
(8) वित्तीय सेवा क्षेत्र	बैंकिंग कंपनियां	0801
	चिट फंड्स	0802
	वित्तीय संस्थाएं	0803

	वित्तीय सेवा प्रदाता	0804
	लीज़िंग कंपनियाँ	0805
	मनी लेंडर्स	0806
	गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ	0807
	शेयर ब्रोकर्स, सब शेयर ब्रोकर्स, इनत्यादि	0808
	अन्य	0809
(9) मनोरंजन उद्योग	केबल टी वी प्रोडक्शन्स	0901
	फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन	0902
	फिल्म प्रयोगशालाएं	0903
	मोशन फिल्म निर्माता	0904
	टेलीविज़न चैनल्स	0905
	अन्य	0906

(ii) अनुसूची धझ 1, में उन धाराओं के लिए कोड जो उनमें उल्लिखित आय के लिए कर की विशेष कर दरे विहित हैं, निम्नवत हैं:

क्रम सं.	आय का स्वरूप	धारा	कर की दर	धारा कोड
1	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के संचित शेष पर कर	111	चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 9 (1) के अनुसार संगणित की जानी है	1
2	अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ	111क	15	1क
3	दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ (सूची सहित)	112	20	21
4	दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ (सूची के बिना)	112	10	22
5	विदेशी मुद्रा में यूनिटों की खरीद से लाभांश, ब्याज तथा आय	115क (1) (क)	20	5क1क
6	रॉयल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं से आय जहाँ	वित्त अधिनियम	50	च क

	रॉयल्टी के मामले में करार 31.3.1961 से 43म1.3.1976 के बीच और 29.2.1964 तथा 31.3.1976 के बीच निष्पन्न हुआ है और करार केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित है ।	की प्रथम अनुसूची के भाग 1 का पैराग्राफ ई II		
7	रॉयल्टी तथा तकनीकी सेवाओं से आय	115 (1)(ख) यदि करार 31.5.1997 को अथवा उससे पूर्व निष्पन्न हुआ है ।	30	5क1ख1
8	रॉयल्टी तथा तकनीकी सेवाओं से आय	115क (1) (ख) यदि करार 31.5.1997 को अथवा उसके बाद किन्तु 1.6.2005 से पूर्व निष्पन्न हुआ है ।	20	5क1ख2
9	रॉयल्टी तथा तकनीकी सेवाओं से आय	115क (1) (ख) यदि करार 1.6.2005 को अथवा उसके बाद हुआ है।	10	5क1ख3
10	किसी अपतटीय निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में यूनिटों की खरीद के संबंध में प्राप्त आय	115क ख (1)(क)	10	5कख1क
11	किसी अपतटीय निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में यूनिटों की खरीद के हस्तांतरण से उद्भूत होने वाले दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ के रूप में आय	115 क ख (1)(ख)	10	5कख1ख
12	विदेशी मुद्रा में बांडों अथवा जी डी आर की खरीद से आय अथवा किसी अनिवासी के मामले में उनके हस्तांतरण के मामले में उनके हस्तान्तरण से उद्भूत पूँजीगत अभिलाभ	115 क ग (1)	10	5कग
13	विदेशी मुद्रा में जी डी आर की खरीद से आय अथवा किसी निवासी के मामले में उनके	115 क ग क (1)	10	5कगक

	हस्तान्तरण से उद्भूत पूँजीगत अभिलाभ			
14	जीवन बीमा कारोबार के लाभ तथा अभिलाभ	115ब	12.5	5ख
15	लॉटरियों, शब्द वर्गों, पहेलियों, दौड़ों जिनमें घुड़दौड़, कार्ड गेम्स तथा अन्य प्रकार का कोई खेल अथवा जुआ अथवा कोई अन्य प्रकार की बाजी अथवा उसका स्वरूप चाहे जैसा कोई हो, शामिल है, से जीत	115 ख	30	5खख
16	अनिवासी खिलाड़ी अथवा खेल संघों पर कर	115 ख ख क	10	5खखक
17	भारतीय यूनिट ट्रस्ट के किसी ओपन एन्डेड इनक्विटी उन्मुख फंड अथवा म्युचुअल फंड की यूनिटों से प्राप्त आय पर कर	115 ख ख ख	10	5खखख
18	गुप्त दान	115 ख ख ग	30	5खखग
19	निवेश आय	115ड. (क)	20	5ड.क
20	दीर्घ कालिक पूँजीगत अभिलाभ के रूप में आय	115ड. (ख)	10	5ड.ख
21	दोहरा कराधान करार			डीटीएए

7. **कानून की संक्षिप्त स्कीम** - इस फार्म को भरने से पूर्व आपको हिदायत दी जाती है कि निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ लें -

(1) कुल आय की संगणना

(क) “पूर्व वर्ष” वह वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) है जिसके दौरान संगत आय अर्जित की गई है । “ कर-निर्धारण वर्ष” वह वित्त वर्ष होता है जो पूर्व वर्ष के ठीक बाद आता है।

(ख) कुल आय की संगणना निम्नलिखित क्रम में निम्नानुसार की जानी है :

(i) आय के निम्निलिखित शीर्षों के अंतर्गत आय की सभी मदों को वर्गीकृत करें-

(क) वेतन;(ख) “ गृह संपत्ति से आय”;(ग) कारोबार अथवा व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ; (घ) “पूँजीगत-अभिलाभ”; और (ड.) “अन्य स्रोतों से आय” । (आय के एक अथवा (क),(ख),(घ) तथा (ड.) के मदों में अधिक शीर्षों के अंतर्गत कोई आय नहीं हो सकती है) ।

(ii) अनुसूचियों में आय के प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत चालू वर्ष (अर्थात पूर्ववर्ती वर्ष) की कराधेय आय की संगणना अलग से करें । ये अनुसूचियां इस प्रकार तैयार की गई हैं ताकि आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आपको संगणना करने में मदद मिल सके । इन सांविधिक उपबंधों में यह निश्चित

किया गया है कि आपकी आय में क्या शामिल किया जाना है, व्यय अथवा छूट के तौर पर आप किसका दावा कर सकते हैं और कितना दावा कर सकते हैं ।

(iii) कानून द्वारा विहित प्रक्रियाओं के अनुसार चालू वर्ष की मदवार आय (आयों) के सामने चालू वर्ष की मदवार क्षति (क्षतियों) का प्रतितुलन करें । ऐसे प्रतितुलन के लिए अलग से एक अनुसूची दी गई है

(iv) कानून द्वारा विहित प्रक्रियाओं के अनुसार पूर्ववर्ती कर-निर्धारण वर्ष (वर्षों) के प्रतितुलन, क्षति (क्षतियों तथा/अथवा छूट (छूटों) को अग्रेनीति किया जाता है । इसके अतिरिक्त, क्षति (क्षतियों) तथा/अथवा छूट (छूटों) की गणना करें कि भविष्य में उनका प्रतितुलन किया जा सके और कानून द्वारा विहित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें अग्रेनीत किया जाना है । इसके लिए अनुसूचियाँ अलग से दी गई हैं

(v) उपर्युक्त (iv) के पश्चात यथा उपलब्ध शीर्षवार अंतिम परिणामों का योग करें । इससे आपको कुल सकल आय प्राप्त होगी ।

(vi) कानून द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार कुल सकल आय से आयकर अधिनियम के अध्याय VI क में उल्लिखित कटौतियां घटाएं । यह परिणाम कुल आय होगी । इसके अतिरिक्त दर प्रयोजनों के लिए कृषि जनित आय की संगणना करें ।

(2) कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में आयकर, अधिभार, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर तथा ब्याज की संगणना

(क) सकल आय पर देय आयकर की संगणना करें । कर की विशेष दरें कतिपय विनिर्दिष्ट मदों पर लागू हैं। कर संगणना की प्रक्रिया में दर के प्रयोजन के लिए यथा विहित कृषि जनित आय को शामिल करें ।

(ख) यदि यथा उपर्युक्त संगणित कराधेयता अंकित लाभ के 10 प्रतिशत से कम है तो कम्पनी को धारा115 (ख) के अन्तर्गत लाभ के 10 प्रतिशत की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर अदा करना पड़ता है । इस प्रकार संदत्त अतिरिक्त कर उस वर्ष में क्रेडिट के लिए अग्रनित किए जाने हेतु अनुमत है जिसमें अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कराधेयता न्यूनतम वैकल्पिक कराधेयता से अधिक है। ऐस अग्रनेय 5 वर्षों से अनुमत है ।

(ग) संदेय कर जमा अधिभार पर 3 प्रतिशत की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित पर शिक्षा उपकर जोड़ें ।

(घ) कानून द्वारा यथा विहित दोहरे कराधान के लिए राहत (राहतों) हेतु दावा करें तथा बकाया कर तथा संदेय अधिभार की संगणना करें ।

(ङ) कानून द्वारा यथा विहित देय ब्याज जोड़ें ताकि कुल कर, अधिभार तथा देय ब्याज निकाला जा सके ।

(च) पूर्व संदत्त कर, यदि कोई हो, जैसे " स्रोत पर की गई कर कटौती", " अग्रिम कर" तथा " स्व निर्धारण कर" की राशि को घटाएं । परिणाम देय कर (अथवा प्रति अदायगी) होगा ।

8. इस फार्म की स्कीम

इस फार्म की स्कीम में कानून की स्कीम का अनुसरण किया गया है जैसा कि इसके मौलिक फार्म में पर कहा गया है । इस फार्म को तीन भागों में विभक्त किया गया है । इसमें 35 अनुसूचियां भी हैं। इन भागों के ब्यौरे तथा अनुसूचियाँ निम्नवत हैं :-

(i) भाग-क में पाँच उप प्रभाग हैं जो निम्नवत् हैं :-

(क) भाग क- सामान्य का मुख्य आशय अपेक्षित पहचान वाली सामान्य सूचना तथा अन्य आंकड़ों से है ।

(ख) भाग क- खध का आशय दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र से है ।

(ग) भाग क- त तथा ठ का आशय वित्त वर्ष 2009-10के लिए लाभ तथा हानि लेखा के संबंध में सूचना से है ।

(घ) भाग क-ण झ का आशय अन्य सूचना से है । धारा 44 क ख के अंतर्गत यह लेखा परीक्षा के लिए वैकल्पिक है अन्यथा जरूरी नहीं है ।

(ङ) भाग-क-थघ का आशय व्यापारकृत माल की प्रमुख मद के मात्रात्मक ब्यौरे के बारे में सूचना से है । धारा 44 क ख के अंतर्गत लेखा परीक्षा के लिए यह वैकल्पिक है अन्यथा ज़रूरी नहीं है ।

(ii) दूसरा भाग अर्थात भाग ख कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में कुल आय की रूपरेखा तय करने तथा कर की संगणना के बारे में है ।

(iii) इसमें 35 अनुसूचियाँ हैं, जिनके ब्यौरे निम्नवत हैं-

(क) अनुसूची-ख क : बैंक खाते का ब्यौरा ।

(ख) अनुसूची - ज त : गृह संपत्ति से आय शीर्ष के अंतर्गत आय की संगणना ।

(ग) अनुसूची ख त : कारोबार अथवा व्यवसाय प्राप्त लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय की संगणना ।

(घ) अनुसूची घ त ड : आयकर अधिनियम के अंतर्गत संयंत्र तथा मशीनरी पर मूल्यह्रास की संगणना ।

(ङ) अनुसूची-घ ण क : आयकर अधिनियम के अंतर्गत अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास की संगणना

(च) अनुसूची घ ड त : आयकर अधिनियम के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लेखा जोखा ।

(छ) अनुसूची ध ग ज : मूल्य ह्रास योग्य परिसंपत्तियों की ब्रिक्री पर माने गए पूँजीगत अभिलाभ की संगणना ।

(ज) अनुसूची ड ध द : धारा 35 के अंतर्गत कटौती (वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय)

(झ) अनुसूची ग छ : पूँजीगत अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय की संगणना ।

(ञ) अनुसूची ण ध : अन्य स्रोतों से प्राप्त आय शीर्ष के अंतर्गत आय की संगणना

(ट) अनुसूची ग म ठ क : चालू वर्ष की क्षतियों का प्रतितुलन करने के उपरांत आय का विवरण

(ठ) अनुसूची ख च ठ क : पूर्ववर्ती वर्षों से अग्रेनीत अनावशोषित हानि का प्रतितुलन करने के उपरांत आय का विवरण

(ड) अनुसूची ग च ठ : भावी वर्षों में बढ़ाई जाने वाली क्षतियों का विवरण ।

(ढ) अनुसूची -10क : धारा 10 क के अंतर्गत कटौती की संगणना

(ण) अनुसूची-10 कक : धारा 10 क क के अंतर्गत कटौती की संगणना ।

(त) अनुसूची-10 कक : धारा 10 क क के अंतर्गत कटौती की संगणना ।

(थ) अनुसूची-10 ख : धारा 10 ख के अंतर्गत कटौती की संगणना ।

(द) अनुसूची-10 ख क : धारा 10 ख क के अंतर्गत कटौती की संगणना ।

(ध) अनुसूची- 80 छ : धारा 80 छ के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र दान के ब्यौरे ।

(न) अनुसूची -झ क : धारा 80 झ क के अंतर्गत कटौती की संगणना ।

(प) अनुसूची-80 झ ख : धारा 80 झ ख के अंतर्गत कटौती की संगणना ।

(फ) अनुसूची-80 झ ग : धारा 80 झ ग के अंतर्गत कटौती की संगणना ।

(ब) अनुसूची- फ झ क : अध्याय VI क के अंतर्गत (कुल आय से) कटौती की संगणना।

(भ) अनुसूची-ध झ : सी आय जो विशेष दरों पर कर के लिए प्रभार्य है, का विवरण।

(म) अनुसूची ड. झ : कुल आय में शामिल न की गई आय (छूट प्राप्त आय) का विवरण।

(य) अनुसूची ड क न: धारा 115ञख के अन्तर्गत संदेय न्यूनतम वैकल्पिक कर की संगणना ।

(कक) अनुसूची ध ध न: लाभांश वितरण कर के भुगतान का विवरण ।

(खख) अनुसूची झ न : अग्रिम कर और स्व निर्धारण पर कर भुगतान का विवरण ।

(गग) अनुसूची न घ द : वेतन से भिन्न आय पर स्रोत पर काटे गए कर का विवरण ।

(घघ) अनुसूची टी ए एस: स्रोत पर संगृहीत कर का विवरण ।

(ङङ) अनुसूची घ घ न तः लाभांश वितरण कर के भुगतान का ब्यौरा ।

9. भागों तथा अनुसूचियों को भरने के लिए मार्गदर्शन

(1) सामान्य

(i) सभी मदें उनमें निर्दिष्ट तरीके से भरी जानी चाहिएं अन्यथा विवरणी दोषपूर्ण होने अथवा विधिमान्य न होने के कारण वापस की जा सकती है ।

(ii) यदि कोई अनुसूची लागू नहीं है तो उसे काट कर लिखें " लागू नहीं" ।

(iii) यदि कोई मद लागू नहीं है तो उस मद के सामने " लागू नहीं" लिखें ।

(iv) यदि आंकड़े शून्य हों तो शून्य लिखें ।

(v) फार्म में यथा निर्दिष्ट को छोड़कर, ऐसे आंकड़ों के समक्ष नकारात्मक आंकड़ों/हानि के आंकड़ों के लिए "---------" लिखें ।

(vi) सभी आंकड़े एक रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित होने चाहिए । तथापि, कुल आय/हानि तथा देय कर के आंकड़े उस रूपए के निकटतम बहुल तक पूर्णांकित होने चाहिए।

2. भागों तथा अनुसूचियों को भरने के लिए क्रम

(i) भाग क

(ii) अनुसूचियाँ

(iii) भाग ख

(iv) इलैक्ट्रानिक रूप से भेजने का ब्यौरा यदि विवरणी अनुदेश संख्या 5(iii) में निर्दिष्ट ढंग दायर की गई हो।

(v) सत्यापन

10. **भाग क - सामान्य**

इस फार्म के भाग - सामान्य में भरे जाने वाले अधिकांश ब्यौरे स्वतः स्पष्ट हैं । तथापि, भरे जाने वाले नीचे उल्लिखित कतिपय ब्यौरों को इस प्रकार बताया गया है ।

(क) ई-मेल पता तथा फोन नं. वैकल्पिक हैं ।

(ख) व्यक्ति के मामले में, " नियोक्ता श्रेणी" के लिए सरकारी श्रेणी के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम श्रेणी के अन्तर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां शामिल होंगी।

(ग) उन धाराओं जिनके अंतर्गत अनुदेश सं. 9 (i) में दिए गए कोड के अनुसार विवरणी दाखिल की गई है / दाखिल की जाएगी, के लिए कोड ।

(घ) यदि एक प्रतिनिधि की हैसियत से आपके द्वारा विवरणी दाखिल की जा रही है तो कृपया " प्रतिनिधि कर-निर्धारिती के पैन" मद में अपने पैन का उल्लेख करना सुनिश्चित कर लें । यदि विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पैन की जानकारी नहीं है अथवा उसे भारत में पैन नहीं प्राप्त हुआ है तो वह विवरणी पहली पंक्ति में पैन के लिए मद को खाली छोड सकता है । कृपया इस बात को ध्यान में रख लें कि इस फार्म की पहली पंक्ति में प्रतिनिधित्व होने वाले व्यक्ति का नाम भरें ।

11. **भाग क ख ध और भाग त एवं ढ**

(क) वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान आपके द्वारा किए गए स्वामित्व कारोबार अथवा व्यवसाय के संबंध में 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र तथा वित्त वर्ष 2007-08 के लिए लाभ तथा हानि के लेखा इन दिए गए प्रपत्रों में इन भागों को भरना होगा, यदि वर्ष के दौरान आपको कारोबार अथवा व्यवसाय के खातों को रखना अपेक्षित था ।

(ख) यदि कारोबार अथवा व्यवसाय के लेखों का लेखा परीक्षा कराना अपेक्षित था तो इन भागों में भरे गए तुलन पत्र की मदों तथा लाभ और हानि के लेखों को मोटे तौर पर लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि के लेखों का मिलान किया जाना चाहिए ।

(ग) वर्ष के दौरान यदि कारोबार अथवा व्यवसाय के लेखों को रखना अपेक्षित नहीं था तो " कोई खाता नहीं" भाग के सामने इन भागों में उल्लिखित ब्यौरों को भरें ।

12 **भाग क ण स तथा भाग क थ प घ**

(क) धारा 44 क ख के अंतर्गत यदि कारोबार अथवा व्यवसाय के लेखों की लेखा परीक्षा कराना अपेक्षित नहीं था तो इन भागों को भरना वैकल्पिक है ।

(ख) धारा 44 क ख के अंतर्गत जहाँ कारोबार अथवा व्यवसाय के लेखों की लेखा परीक्षा कराना अपेक्षित था, वहाँ इन भागों जो लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में सूचना दी जानी अपेक्षित है, में भरे हुए ब्यौरों की मोटे तौर पर मिलान लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यथा निर्दिष्ट ब्यौरे से की जानी चाहिए ।

(ग) खरीदों को करों में शामिल करके दर्शाया जाना चाहिए तथा खरीद पर संदत्त करों के ब्यौरे को अलग से संगत पंक्तियों में दर्शाना चाहिए । तथापि, जहाँ खरीदों पर संदत्त विभिन्न करों के ब्यौरों को अलग करना संभव न हो, वहाँ इनको शामिल करना चाहिए और खरीद के ब्यौरों में उन्हें दर्शाना चाहिए ।

(घ) भाग ए- क्यूडी में, प्रमुख मदों के संबंध में केवल मात्रात्मक ब्यौरों को प्रस्तुत करना चाहिए ।

13. **अनुसूचियाँ**

(क) अनुसूची ख क**:**

इस अनुसूची में कृपया बैंक का एम आई सी आर कोड लिखें यदि आप इनलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) के माध्यम से प्रतिदाय लेना चाहते हैं। तथापि, सभी मामलों में ईसीएस के माध्यम से प्रतिदाय जारी करना संभव नहीं है क्योंकि पूरे देश में ईसीएस सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) अनुसूची ज त**:**

यदि तीन अथवा तीन से कम गृह संपत्ति है तो इस अनुसूची में प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे भरें । यदि तीन से अधिक गृह संपत्ति है तो इस अनुसूची के प्रपत्र में अलग शीट में शेष संपत्तियों के ब्यौरे भरे और इस विवरणी के साथ उसे संलग्न करें । इस अनुसूची की अंतिम पंक्ति में सभी संपत्तियों के परिणाम भरने होंगे । निम्नलिखित बिन्दुअ को स्पष्ट करने की जरूरत है :-

(i) वार्षिक किराया योग्य मूल्य का आशय उस राशि से है जिसके लिए गृह संपत्ति को उचित रूप से एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक वैकल्पिक आधार पर किराये पर देने की आशा की गई है । स्थानीय प्राधिकरण को संदत्त करों की कटौती तभी उपलबध होगी जब उक्त संपत्ति किसी किरायेदार के कब्जे में है और ऐसा कर कर-निर्धारिती द्वारा वहन किया गया हो न कि किरायेदार द्वारा और वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से उनका भुगतान किया गया हो ।

(ii) किराये पर दी गई संपत्ति के मामले में गैर-वसूलीकृत किराये के लिए कटौती उपलब्ध है । यदि ऐसी कोई कटौती किसी पूर्ववर्ती कर-निर्धारण वर्ष में की गई है और ऐसा गैर-वसूलीकृत किराया वास्तविक रूप से उसी कर-निर्धारण वर्ष में प्राप्त हुआ है, इस प्रकार गैर-वसूलीकृत किराये को इस अनुसूची की मद 4 क में दर्शाना होगा ।

(iii) इस अनुसूची की मद 4 ख का संबंध भूतलक्षी प्रभाव से किराये की वृद्धि से है । यहाँ उस पर पिछले वर्ष प्राप्त अतिरिक्त किराया को दर्शाये और प्राप्त ऐसे बकाया किराये को 30% की दर से कटौती का दावा करें ।

(ग) अनुसूची ख त:-

(i) इस अनुसूची में संगणना भाग क-लाभ और हानि की मद सं. 43 में दर्शाए गए के अनुसार कर से पूर्व लाभ के आधार पर शुरू की जानी है ।

(ii) अनुसूची में उल्लिखित मदों द्वारा शामिल न किए गए जोड़ अथवा कटौती के किसी मद के मामले में इस अनुसूची की अपशिष्ट मद सं. 21 और 26 में भरें ।

(iii) यदि कारोबार अथवा व्यवसाय के लेखों को नहीं रखा जाता है तो आपके द्वारा उसमें की गई प्रविष्टि के अनुसार लाभ को भाग क-लाभ तथा हानि की मद संख्या 50 ध में भरें।

(iv) यदि नियम 7 क, 7 ख अथवा 7 ग के आधार पर कृषि जनित आय (चाय, कॉफी आदि के उत्पादन तथा विनिर्माण के कारोबार में) को शामिल नहीं किया जाता है तो इस अनुसूची की मद सं. 5 ग में इनसे शामिल नहीं किया जाएगा ।

(v) 37 में व्यवसाय अथवा कारोबार से निवल लाभ अथवा क्षति की केवल विशेष मामलों संगणना की जानी है उदाहरणार्थ चाय, काफी आदि के उत्पाद तथा विनिर्माण के कारोबार के मामले में जहां नियम 7क, 7ख अथवा 7ग लागू है अन्यथा क-36 में यथा संगणित लाभ अथवा हानि के आंकड़े प्रविष्ट किए जा सकते हैं ।

(vi) (vi) इस अनुसूची की मद ग में व्यवसाय अथवा कारोबार (सट्टा कारोबार तथा सट्टा कारोबार से लाभ अथवा हानि से भिन्न)(मद क 37+ ख 41) से कुल लाभ अथवा हानि की संगणना की जाती है । कृपया नोट करें कि यदि सट्टा कारोबार के संबंध में मद ख 41 में बकाया एक क्षति है तो उसे गैर सट्टा कारोबार से लाभ के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसी स्थिति में मद क 37 के आंकड़े ही मद ग में प्रविष्ट किए जाएं ।

(घ) अनुसूची-घ त ड, अनुसूची घ ण क, अनुसूची घ ड.त तथा अनुसूची घ ग छ : सुविधा के कारण, आयकर अधिनियम के अंतर्गत मूल्य ह्रास की गणना अनुमत्य है (विद्युत उत्पादन करने वाले किसी उपक्रम के मामले को छोड़कर जिसके पास धारा 32 (1) (i) के अंतर्गत सीधी पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास का दावा करने का विकल्प हो सकता है) को दो भागों में अर्थात् अनुसूची ध त ड (संयंत्र तथा मशीनरी पर मूल्य ह्रास) और घ ण क (अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास) में विभक्त किया गया है । इन अनुसूचियों के अनुसार मूल्य ह्रास के लेखा-जोखा को अनुसूची ध ड. त में दर्शाना होगा । मानित अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ, यदि कोई हो, तो उसे अनुसूची - संयंत्र तथा मशीनरी पर मूल्य ह्रास और अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास में यथा संगणित अनुसूची डी सी जी में प्रविष्ट करना होगा ।

(ङ) अनुसूची- ड. ध द**:** धारा 35 के अंतर्गत कटौती (वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय) इस अनुसूची के कॉलम (2) में, कृपया उस कटौती के ब्यौरे प्रस्तुत करें जिसके लिए आप इस धारा के उपबंधों

के अंतर्गत पात्र हैं । कॉलम (1) में, कृपया धारा 35 द्वारा शामिल किए गए व्यय की राशि को प्रविष्ट करें यदि उन्हें लाभ तथा हानि लेखा से घटाया गया है । कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि उस पूँजीगत परिसंपत्ति के संबंध में मूल्य ह्रास के लिए कोई कटौती नहीं है जिसके लिए धारा 35 (1)(iv) के अंतर्गत दावा किया गया है ।

(च) अनुसूची ग छ -

(i) यदि एक से अधिक अल्पकालिक पूँजीगत परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया गया है, तो सभी परिसंपत्तियों के लिए संयुक्त संगणना की जाए । इनसी प्रकार, यदि एक से अधिक दीर्घ कालिक पूँजीगत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण किया गया है तो सभी परिसंपत्तियों के लिए संयुक्त संगणना करें ।

(ii) इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित लागत मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर यदि आवश्यक हो तो दीर्घकालिक पूँजीगत परिसंपत्ति की संगणना के लिए, अधिग्रहण की लागत तथा सुधार की लागत की सूची बनाई जा सकती है ।

क्रम सं.	वित्त वर्ष	लागत मूल्य वृद्धि	क्रम सं.	वित्त वर्ष	लागत मूल्य वृद्धि
1	1981-82	100	14	1994-95	259
2	1982-83	109	15	1995-96	281
3	1983-84	116	16	1996-97	305
4	1984-85	125	17	1997-98	331
5	1985-86	133	18	1998-99	351
6	1986-87	140	19	1999-00	389
7	1987-88	150	20	2000-01	406
8	1988-89	161	21	2001-02	426
9	1989-90	172	22	2002-03	447
10	1990-91	182	23	2003-04	463
11	1991-92	199	24	2004-05	480
12	1992-93	223	25	2005-06	497
13	1993-94	244	26	2006-07	519
			27	2007-08	551
			28	2008-09	582
			29	2009-10	अधिसूचित किया जाना है ।

(iii) इस अनुसूची में उल्लिखित धारा 54/54 ख/54घ/54 ड. ग/54 च/54 छ/54 छ क में पूँजीगत अभिलाभ पर छूट प्रदान की गई है बशर्ते कि कतिपय शर्तों को पूरा किया जाए। इन धाराओं में से कतिपय धारा अ के अंतर्गत दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ के संबंध में ही छूट उपलब्ध है । अतः कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप कानून के उपबंधों के अनुसार इन धाराओं में से किन धाराओं के लाभों का सही ढंग से दावा कर रहे हैं।

(iv) इस अनुसूची की मद सं. ग में कुल अल्प कालिक पूँजीगत अभिलाभ तथा दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ की (मद क छ तथा मद ख छ) संगणना की जाती है । कृपया यह नोट कर लें कि दीर्घ कालिक पूँजीगत अभिलाभ के संबंध में मद खछ में यदि शेष में कोई हानि है तो उसे अल्पकालिक पूँजीगत अभिलाभ के सामने प्रतितुलन नहीं करेंगे । ऐसी स्थिति में, मद खछ के आंकड़े 0 के रूप में प्रविष्ट किए जाएंगे तथा तत्पश्चात मद कछ के आंकड़े मद ग में जोड़े जाएंगे।

(छ) **अनुसूची ण ध-**

(क) मद 1 क तथा 1 ख के सामने उस लाभांश तथा ब्याज के रूप में प्राप्त सकल आय के ब्यौरों की प्रविष्टि करें जिसे छूट प्राप्त नहीं है ।

(ख) मद 1 ग के सामने, मशीनरी, संयंत्र अथवा किराये पर दिए गए फर्नीचर से प्राप्त सकल आय को दर्शाए और ऐसी आय को भी दर्शाएं जहाँ उक्त मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर को किराये पर देने से भवन से किराया अलग नहीं है, यदि वह आय " कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ तथा अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत आय कर के लिए प्रभार्य नहीं है ।

(ग) घुड़दौड़ों के स्वामित्व तथा रखरखाव से प्राप्त आय की संगणना अलग से की जानी है क्योंकि घुड़दौड़ों के स्वामित्व तथा रखरखाव से हुई हानि को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त आय में समायोजित नहीं किया जा सकता है और उसे परवर्ती वर्षों में समान आय में प्रतितुलन के लिए अग्रेनीत किया जा सकता है।

(घ) लाटरियों, शब्द वर्ग पहेलियों, दौड़ों आदि की जीतें कर की विशेष दरों के अध्यधीन हैं, अतः इसके लिए अलग से एक मद का प्रावधान किया गया है । तथा इनसे प्राप्त आय को अन्य स्रोत से प्राप्त आय शीर्ष के अन्तर्गत उद्भूत होने वाली हानियों के प्रति समायोजित नहीं किया जा सकता है।

(ङ) इस अनुसूची की मद 5 में "अन्य स्रोतों से प्राप्त आय" (मद 1 छ + मद 2+ मद 3+ मद 4 ग) शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य कुल आय की संगणना की जाती है ।) यदि मद 4 ग में घुड़दौडों के स्वामित्व तथा रख रखाव से शेष में कोई हानि है तो कृपया 0 प्रविष्ट करें तथा मद 3 के योग को मद 5 में ही प्रविष्ट करें।

(ज) **अनुसूची-ग म ढ क-**

(i) संगत पंक्ति में, शीर्षवार कॉलम 1 में चालू वर्ष की केवल धनात्मक आय का उल्लेख करें।

(ii) संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित की जाने वाली हानि शीर्ष के विपरीत प्रथम पंक्ति में गृह सम्पत्ति, कारोबार अथवा व्यवसाय तथा अन्य स्रोतों (घुड़दौड़ों से हानि से भिन्न) से कुल चालू वर्ष की क्षति (क्षतियों), यदि कोई, का उल्लेख करें । इन हानियों को धारा 71 के उपबंधों के अनुसार अन्य शीर्षों के अंतर्गत आय के सामने प्रतितुलन किया जाना है । संबंधित शीर्षों के सामने प्रतितुलन की राशि को संगत पंक्तियों में, कॉलम 2, 3,तथा 4 में प्रविष्ट करना होगा ।

(iii) कॉलम 5 में, शीर्षवार, संगत पंक्तियों में उपर्युक्त अंतर-शीर्ष प्रतितुलन के अंतिम परिणाम का उल्लेख करें ।

(iv) कॉलम 2, 3 तथा 4 में से प्रतितुलन कुल हानि को पंक्ति vii में प्रविष्ट करना होगा
(v) प्रतितुलन के लिए शेष हानि को पंक्ति viii में प्रविष्ट करना होगा ।

(झ) अनुसूची ख च ढ क-

(i) कॉलम 1 में शीर्षवार, संगत पंक्तियों में अनुसूची ग म ठ क में हानि का प्रतितुलन करने के बाद चालू वर्ष की केवल धनात्मक आय का उल्लेख करें ।
(ii) अग्रेनीत की गई हानियों की राशि जिसका प्रतितुलन किया जा सकता है, उन्हें कॉलम 2 की संगत पंक्तियों में प्रविष्ट किया जाना है ।
(iii) प्रतितुलन के अंतिम परिणाम को कॉलम 3 में, संगत शीर्ष में प्रविष्ट किया जाएगा । कॉलम 3 के योग को पंक्ति viii में प्रविष्ट किया जाएगा जिससे सकल कुल राशि प्राप्त होगी ।
(iv) वर्ष के दौरान अग्रेनीत की गई हानियों की कुल राशि को पंक्ति VIII के कॉलम 2 में प्रविष्ट किया जाएगा।

(ञ) अनुसूची ग च ठ -

(i) इस अनुसूची में, पूर्ववर्ती वर्ष से लाई गई हानियों का लेखा-जोखा, वर्ष के दौरान प्रतितुलन तथा भावी वर्षों की आय में प्रतितुलन करने के लिए प्रविष्ट किया जाना है।
(ii) “ गृह संपत्ति” “ कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ तथा अभिलाभ” शीर्ष के अंतर्गत हानियाँ जो अल्पकालिक पूँजीगत हानि तथा दीर्षकालिक पूँजीगत हानि, अन्य स्रोतों से हानि (घुड़दौड़ से भिन्न हानि) को 8 वर्षों के लिए अग्रेनीत करने की अनुमति है । तथापि, घुड़दौड़ के स्वामित्व तथा रख-रखाव से हुई हानियों को केवल 4 कर निर्धारण वर्षों के लिए अग्रेनीत किया जा सकता है ।

(ट) अनुसूची 10 क
(i) यदि इस धारा के अंतर्गत कटौती के लिए एक से अधिक उपक्रम पात्र हैं तो कृपया प्रत्येक उपक्रम के लिए अलग से कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें ।
(ii) धारा 10 क के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट होने के नाते फाम सं. 56एफ की मद 17 के अनुसार किसी उपक्रम के लिए इस धारा के अंतर्गत कटौती की राशि होगी।

(ठ) **अनुसूची 10 क क-**
यदि इस धारा के अंतर्गत एक से अधिक उपक्रम कटौती के लिए पात्र है तो कृपया प्रत्येक उपक्रम के लिए अलग से कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें ।

(ड) **अनुसूची 10 ख**

(i) यदि इस धारा के अंतर्गत एक से अधिक उपक्रम के लिए अलग से कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें ।

(ii) धारा 10 ख के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट होने के नाते सं. 56 छ की मद 17 के अनुसार किसी उपक्रम के लिए इस धारा के अंतर्गत कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें।

(ढ) **अनुसूची 10 ख क-**

(i) यदि इस धारा के अंतर्गत एक से अधिक उपक्रम के लिए अलग से कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें ।

(ii) धारा 10 ख के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट होने के नाते सं. 56 ज की मद 17 के अनुसार किसी उपक्रम के लिए इस धारा के अंतर्गत कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें।

(ण) अनुसूची 80 छ-

(i) इस अनुसूची में, आपके द्वारा दिए गए दान जो धारा 80 छ के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं, के ब्यौरे भरने होंगे ।

(ii) इस अनुसूची के भाग क में, वे दान जो 100 % तक कटौती के लिए पात्र हैं, के ब्यौरे भरे जाने हैं । धारा 80 छ (2) के साथ पठित धारा 80 छ (1)(i) में उन दान के फंडों/संस्थाओं की सूची शामिल है जिनके लिए दानकर्ता के हाथ में 100% कटौती के पात्र हैं ।

(iii) इस अनुसूची के भाग ख में, वे दान जो 50 % कटौती के लिए पात्र हैं, के ब्यौरे भरे जाने हैं जहाँ ऐसे दान फंडों/संस्थाओं को दिए गए हैं जिन्हें इस प्रयोजनार्थ किसी प्राधिकरण से अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है । धारा 80द (2) के साथ पठित धारा 80 छ(1)(i) में भी ऐसे फंडों/संस्थाओं की सूची शामिल है ।

(iv) इस अनुसूची के भाग ग में उन फंडों/संस्थाओं जो इस प्रयोजनार्थ आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित है, को दिए गए दानों के ब्यौरे ।

(v) जहाँ भाग - ग में उल्लिखित सकल दान तथा धारा 80 छ (2) के खंड (क) और खंड (ख) तथा खंड (ग) के उपखंड (v),(vi),(vi क) और (vii) में उल्लिखित दान कुल आय की 10% से अधिक होती है (अध्याय VI क के अन्य उपबंधों के अंतर्गत कटौती की संगणना के प्रयोजनार्थ अधिक राशि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा)

(त) **अनुसूची 80 झ क, अनुसूची झ ख और अनुसूची झ ग, अनुसूची झड.**

(i) यदि इनमें से किन्ही धाराओं के अंतर्गत एक से अधिक उपक्रम कटौती के लिए पात्र हैं तो कृपया संगत अनुसूची में प्रत्येक उपक्रम के लिए अलग से कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें ।

(ii) धारा 80 झ क /80 झ ख/80 झ ग तथा 80 झड. के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट होने के नाते फार्म सं. 10 ग ग ख की मद 30 के अनुसार किसी उपक्रम के लिए कटौती की राशि होगी ।

(थ) अनुसूची- फ झ क

(i) अनुमत्य कटौतियों की कुल राशि को कुल सकल आय तक सीमित किया गया है । अनुमत्य कटौतियों के ब्यौरों के लिए कृपया अध्याय -VI क के उपबंधों को देखें ।

(ii) धारा 80 झ क, 80 झ ख और 80 झ ग तथा 80 झड. के अंतर्गत कटौतियों के लिए अनुसूची 80 झख और 80 झ ग में यथा निर्दिष्ट राशि को भरें । धारा 80 झघ के अन्तर्गत कटौती की राशि का दावा इस अनुसूची में ही दर्शाया जा सकता है।

(iii) अन्य कटौतियाँ, जो उपलब्ध हैं, के ब्यौरे निम्नवत हैं -

(क) धारा 80 छ (कतिपय निधियों, धर्मस्व संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कटौती)

(ख) धारा 80 छ छ क (वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कतिपय दान के संबंध में कटौती)

(ग) धारा 80 छ छ ग (राजनीतिक दलों को किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती)

(घ) धारा 80 ञ ञ क (बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के संग्रहण और प्रोसेसिंग के व्यवसाय से लाभ के संबंध में कटौती)

(ङ) धारा 80 ठ क (अपतटीय बैंकिंग यूनिटों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आयों के संबंध में कटौती)

(द) अनुसूची ध झ-

कुल आय में शामिल की गई आय का उल्लेख करें जो विशेष दरों पर कर के लिए प्रभार्य है । संगत धारा के लिए कोड तथा करों की विशेष दरें अनुदेश सं. 9 (iii) में निर्दिष्ट हैं ।

(ध) अनुसूची ड. झ -

कृषि आय, ब्याज, लाभांश आदि जैसी आय का ब्यौरा भरें जिसे कर से छूट प्राप्त है ।

(न) अनुसूची ड क न-

धारा 115 जे बी के अंतर्गत खाता लाभ की गणना करें । उक्त धारा के अंतर्गत कर देयता इस प्रकार संगणित खातालाभ का 10 प्रतिशत होगी । गणना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के प्रावधानों के अनुसरण में वास्तविक आम बैठक में रखे गए हानि और लाभ के लेखा पर आधारित होनी चाहिए । इसके अलावा इस अनुसूची में गणना फार्म 29 बी पर आधारित हो । तथापि, फार्म 29 बी विवरणी के साथ संलग्न नहीं करना है ।

(प) अनुसूची ड क न ग -

सामान्य कर देयता के अतिरिक्त, कर निर्धारण वर्ष 2007-08 में संदत्त एम ए टी के लिए क्रेडिट को कर निर्धारण वर्ष 2008-09 की सामान्य कर देयता के विरूद्ध प्रतितुलन करने की अनुमति है । तथापि, क्रेडिट कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए सामान्य कर देयता उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक उस वर्ष के लिए एम ए टी देयता अधिक है ।

(फ) अनुसूची घ घ न

कंपनी के प्रधान अधकारी के ऊपर किसी लाभांश की घोषणा या किसी लाभांश वितरण या किसी लाभांश के भुगतान, जो भी पहले हो, की तारीख से 14 दिन के भीतर केन्द्र सरकार के खाते में संवितरित लाभ पर कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी है । कृपया नोट करें कि संवितरित लाभ पर कर के भुगतान में केन्द्र सरकार के खाते में जमा कराने में विलम्ब के प्रत्येक माह या इसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से धारा 115 त के अंतर्गत सामान्य ब्याज प्रभार्य है ।

(ब) अनुसूची झ न

(i) इस अनुसूची में आयकर, अग्रिम की अदायगी तथा स्व कर-निर्धारण पर आयकर के ब्यौरे भरें । वर्ष के दौरान संदत्त अनुषंगी लाभ कर, यदि कोई हो, के ब्यौरे भी "अग्रिम आय कर" शीर्ष में शामिल किए जा सकते हैं । वर्ष के दौरान संदत्त अनुषंगी लाभ कर, यदि कोई हो, के ब्यौरे को 'अग्रिम आयकर' शीर्ष के अंतर्गत भी शामिल किया जा सकता है ।

(भ) अनुसूची न ग ध

इस अनुसूची में टीडीएस प्रमाण पत्रों (प्रपद्त्र-16 अथवा प्रपत्र संख्या 16क) जो कटौतीकर्ता (कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी किया गया हो, के आधार पर स्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरे भरे जाएं । यदि इस अनुसूची में दी गई पंक्तियां पर्याप्त नहीं हैं तो कृपया उसी फार्मेट में अलग से एक तालिका संलग्न करें । कृपया यह नोट कर लें कि टीडीएस प्रमाणपत्रों को विवरणी फार्म के साथ संलग्न नहीं करना है ।

(कक) इस अनुसूची में समाहर्ता द्वारा टीसीएस प्रमाणपत्रों (प्रपत्र संख्या 26) के आधार पर स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे भरें । यदि इन अनूसूचियों में दी गई पंक्तियां पर्याप्त नहीं है तो उसी प्रारूप में एक सारणी संलग्न करें । कृपया यह भी नोट किया जाए कि विवरणी प्रपत्र के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाएं ।

(श) **अनुसूची- ध ध न त**

इस अनुसूची में, लाभांश वितरण कर के भुगतान का ब्यौरा भरें । बैंक की शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय), जमा करने की तिथि, चालान क्रमांक तथा संदत्त राशि पावती पर्ची से भरी जानी चाहिए।

14. भाग ख- न झ - कुल आय की संगणना

(i) इस भाग में, विभिन्न वर्षों के अंतर्गत संगणित आय तथा अनुसूची ग च ढ क और अनुसूची ख च ठ क में प्रतितुलन के अनुसार आय का लेखा-जोखा शामिल किया जाना है ।

(ii) प्रत्येक प्रविष्टि जो अनुसूचियों के आधार पर भरी जानी है, को काट दिया गया है अतः यहाँ कोई और स्पष्टीकरण नहीं देना है ।

15. भाग ख - न झ - कुल आय पर कर देयता की संगणना-

(क) मद सं.1क में, लागू दर पर संगणित की जाने वाली सकल कर देयता के ब्यौरे भरें । जिस दर पर कर की देयता संगणित की जानी है, वह दर निम्नवत् है :

(क) घरेलू कंपनी के मामले में कुल आय के 30 प्रतिशत की दर से ।

(ख) घरेलू कंपनी से भिन्न कंपनी के मामले में -

(क) 31 मार्च, 1961 के बाद किन्तु 1 अप्रैल, 1976 के पहले सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान के साथ किए गए करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान से प्राप्त रॉयल्टी में यथा शामिल कुल आय पर अथवा (ख)29 फरवरी, 1964 के बाद किन्तु 1 अप्रैल, 1974 से पहले सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान के साथ किए गए करार के अनुसरण में तथा जहाँ यह करार, किसी भी मामले में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो, सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर 50 प्रतिशत की दर से शेष के 30 प्रतिशत की दर से

(ख) मद 8 में, घरेलू कम्पनी जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपये से अधिक है, के मामले में 10 प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार और मद 7 में, निकाले गए कर के ढाई प्रतिशत की दर से अधिभार का ब्यौरा भरें ।

(ग) मद 9 में, 3 प्रतिशत की दर से (मद सं. 7+ मद सं. 8 का) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर की गणना करें ।

16. **सत्यापन**

(क) यदि विवरणी कागजी प्रपत्र में या डिजीटल हस्ताक्षर से इनलेक्ट्रानिक रूप में या बारकोडेड प्रारूप में प्रस्तुत करनी है तो कृपया सत्यापन में अपेक्षित सूचना भरें। जो लागू न हों उसे काट दें। कृपया सुनिश्चित करें कि विवरणी जमा करने से पूर्व सत्यापन पर हस्ताक्षर हो। विवरणी पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पदनाम लिखें।

(ख) यदि अनुदेश सं. 5(iii) में उल्लिखित ढंग से इनलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करनी हो तो कृपया सत्यापन फार्म (फार्म आईटीआर-v) भरें।

(ग) कृपया नोट करें कि विवरणी या संलग्न अनुसूचियों में गलत विवरण देने वाला कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभयोजन का पात्र होगा तथा दोष सिद्ध होने पर उस धारा के अंतर्गत उस पर कठोर कारावास और अर्थदंड लगाया जा सकता है।